रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112026-278040
CG-DL-E-19112026-278040

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 885] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2026/कार्तिक 25, 1948
No. 885] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2026/KARTIKA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 991(अ).—जबकि, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 664(अ), तारीख 22 जुलाई, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 24 जुलाई, 2026 को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 जुलाई, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सोलहवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में, उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(7) प्रत्येक यान में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकरण द्वारा जारी या नवीकृत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होगा और ऐसा प्रमाणपत्र, मांग किए जाने पर, नियम 116 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7क) उपनियम (7) के अधीन जारी या नवीकृत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यान की श्रेणी के लिए स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अवधि तक विधिमान्य होगा:

सारणी

क्र.सं.	**यान की श्रेणी**	**प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि**
(1)	(2)	(3)
1.	बीएस-I, बीएस-II और बीएस-III उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले सभी मोटर यान	तीन मास।
2.	बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले सभी मोटर यान	छह मास।
3.	बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले सभी गैर-परिवहन मोटर यान	प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से: (क) छह वर्ष तक— प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार; (ख) छह वर्ष से अधिक, किंतु दस वर्ष से अनधिक— प्रत्येक वर्ष में एक बार; और (ग) दस वर्ष से अधिक— प्रत्येक छह माह में एक बार।
4.	बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले सभी परिवहन मोटर यान—	प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से: (क) छह वर्ष तक— प्रत्येक दो वर्ष में एक बार; (ख) छह वर्ष से अधिक, किंतु दस वर्ष से अनधिक— प्रत्येक वर्ष में एक बार; और (ग) दस वर्ष से अधिक— प्रत्येक छह माह में एक बार।

परंतु यह कि, केंद्रीय मोटर यान (सोलहवाँ संशोधन) नियम, 2026 के प्रवृत्त होने से पूर्व जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के मामले में, इस उपनियम के अधीन विनिर्दिष्ट वैधता अवधि ऐसे प्रमाणपत्र के उक्त नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् प्रथम नवीकरण पर ही लागू होगी:

परंतु यह और कि, जहां प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, वहां,—

(क) उसके समाप्त होने की तारीख से पूर्ववर्ती दस दिनों के भीतर, नवीकृत प्रमाणपत्र उसके समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा; और

(ख) अन्य सभी मामलों में, समाप्ति की तारीख के पश्चात्, नवीकृत प्रमाणपत्र ऐसे नवीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।"।

[फा. सं. आरटी-11036/94/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 973(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2026

G.S.R. 991(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 664(E), dated the 22nd July, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Subsection (i), dated 24th July, 2026 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th July, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement** — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115, for sub-rule (7) the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(7) Every vehicle shall carry a valid Pollution Under Control certificate issued or renewed by an agency authorised for this purpose by the State Government and such certificate shall be produced on demand by the officers referred to in sub-rule (1) of rule 116.

(7A) The Pollution under Control Certificate issued or renewed under Sub-rule (7) shall be valid for the period specified in column (3) of the Table below for the vehicle category specified in column (2):

TABLE

Sl. No.	Vehicle Category	Validity of Pollution Under Control Certificate
(1)	(2)	(3)
1.	All motor vehicles complying with BS-I, BS-II and BS-III emission norms	three months
2.	All motor vehicles complying with BS-IV emission norms	six months
3.	All Non-Transport motor vehicles complying with BS-VI emission norms	From the date of first registration: (a) Up to six years – Once in every three years; (b) More than six years but not more than ten years – Once in every one year; and (c) More than ten years – Once every six months.
4.	All Transport motor vehicles complying with BS-VI emission norms	From the date of first registration: (a) Up to six years – Once in every two years; (b) More than six years but not more than ten years – Once in every one year; and (c) More than ten years – Once every six months.

Provided that, in the case of a Pollution Under Control Certificate issued before the commencement of the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2026, the validity period specified under this sub-rule shall apply only upon the first renewal of such certificate after such commencement:

Provided further that, in case where the renewal of Pollution Under Control Certificate is sought,-

(a) within ten days preceding the date of its expiry, the renewed certificate shall take effect from the date of its expiry; and

(b) in all other cases after the date of expiry, the renewed certificate shall take effect from the date of such renewal.".

[F. No. RT-11036/94/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. 973(E) dated the 4th November, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.19 13:31:55 +05'30'